तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 59 / 2015 मथूरादेवी बनाम मांगीलाल अन्तर्गत धारा 229 आरटीएक्ट	
04.06.2018	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट कांकाणी में पेश हुई। अधिवक्ता फेरीकेन उपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 114 / 2014 मथूरादेवी बनाम मांगीलाल अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय दिनांक 30.11.2015 पर यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। न्यायालय के आदेश दिनांक 30. 11.2015 की अपील होने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के अपील संख्या 16 / 2016 मथूरादेवी बनाम मांगीलाल के निर्णय दिनांक 22.12.2017 के द्वारा निर्णय हो जाने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आरटीएक्ट का खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्राली फैशल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।	

04/6/2018

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.